राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1964/2011/भरतपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, भरतपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स दीपक कृष्णा चंडक, सहसवान, बदायूं (यू.पी.). .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. के. बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री एस. के. जैन, अधिकृत प्रतिनिधि .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 19/01/2015

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 34/11/RVAT/APP-III/NRD/10-11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 25.02.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, भरतपुर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 20.08.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 13.08.2008 को वाहन संख्या यू.पी.24/एच–5538 को मथुरा बाईपास, भरतपुर में चैक किये जाने पर वाहन में **'हाई स्पीड डीजल'** मथुरा (यू.पी.) से झालावाड़ के लिये परिवहनित किया जा रहा था। माल प्रभारी/वाहन चालक द्वारा इस वाहन में परिवहनित माल से सम्बन्धित मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मथुरा का DOC No. 8011085 RI दिनांक 13.08.2008 प्रस्तुत किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा वाहन में परिवहनित अधिसूचित श्रेणी के माल के साथ घोषणा प्रपत्र वेट–47 नहीं पाये जाने पर वेट अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 53 का उल्लंघन मानते हुए माल को निरूद्ध किया जाकर वाहन चालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी द्वारा स्वयं को पक्षकार बनाते हुए कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया। इस पर सक्षम अधिकारी ने प्रत्यर्थी को पक्षकार बनाते हुए कारण बताओ नोटिस

लगातार.....2

जारी किया। प्रत्यर्थी ने दिनांक 20.08.2008 को जवाब प्रस्तुत करते हुए घोषणा—पत्र वैट—47 संख्या 0489783 प्रस्तुत करते हुए जाहिर किया कि उक्त घोषणा—पत्र के नम्बर वक्त जांच प्रस्तुत बिल पर अंकित है तथा वाहन चालक उक्त घोषणा—पत्र मथुरा डिपो पर भूल आया था, जो अब पेश किया जा रहा है। सक्षम अधिकारी ने घोषणा—पत्र के क्रमांक वक्त जांच प्रस्तुत बिल पर अंकित नहीं होने से प्रत्यर्थी के जवाब को मिथ्या एवं पश्चातवर्ती सोच का परिणाम अवधारित करते हुए अस्वीकार किया तथा वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत आदेश दिनांक 20.08.2008 पारित करते हुए शास्ति रूपये 1,90,522/— का आरोपण किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2011 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर यह अपील राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि वक्त जांच वाहन में परिवहनित माल से सम्बन्धित घोषणा प्रपत्र वेट—47 माल के साथ नहीं पाये जाने पर व्यवहारी के वेट अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 53 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिये सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया था। अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी के जवाब के साथ बाद में प्रस्तुत घोषणा प्रपत्र वेट—47 को स्वीकार करते हुए सशक्त अधिकारी के आदेश को अपास्त किये जाने में विधिक भूल की गई है। विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा उक्त कथन के साथ राजस्व की अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि माल के साथ इन्वॉयस मौजूद था, जबकि वाहन चालक की भूल से घोषणा—पत्र वैट—47 मथुरा डिपो में ही रह गया, जो वक्त जांच सशक्त अधिकारी को पेश नहीं किया जा सकता। उक्त दस्तावज प्रत्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब के साथ सशक्त अधिकारी के समक्ष पेश कर दिया गया। माल का प्रेषक भारत सरकार का उपक्रम है, जिसमें करापवंचन की कोई सम्भावना नहीं है। अतः प्रकरण में उनकी किसी प्रकार की करापवंचन की मंशा नहीं थी। विद्वान

लगातार.....3

अधिकृत प्रतिनिधि ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स डी.पी.मैटल्स (2001) 124 एस.टी. सी. 611;** माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त **38 टैक्स अपडेट 47 वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर बनाम मैसर्स एस.वी.एम. ऑयल मिल्स प्रा. लि. भरतपुर; 40 टैक्स अपडेट 68 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट—प्रथम, प्रतिकरापवंचन, अलवर बनाम मैसर्स गुप्ता आयरन स्टोर, अलवर; 40 टैक्स अपडेट 153 मैसर्स आर.एस.डब्ल्यू.एम. लिमिटेड, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन—द्वितीय, भीलवाड़ा** तथा **अपील संख्या 1072/2010/जयपुर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत—प्रथम, प्रतिकरापवंचन, अलवर बनाम मैसर्स चेतन सेल्स एजेन्सी, जयपुर निर्णय दिनांक 25.06.2014** का हवाला देते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

6. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. इस प्रकरण में सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 13.08.2008 को वाहन चैक किये जाने पर माल के दस्तावेजों के साथ घोषणा प्रपत्र वेट—47 नहीं पाया गया। इस पर सशक्त अधिकारी द्वारा जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब के साथ घोषणा प्रपत्र वेट—47 प्रस्तुत कर दिया गया एवं वक्त जांच प्रस्तुत नहीं किये जाने का कारण भी बता दिया गया। प्रकरण में सशक्त अधिकारी की पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि जवाब के साथ प्रस्तुत किये गये घोषणा पत्र वैट—47 में क्रेता/विक्रेता व्यवहारी की मोहर अंकित है, माल से सम्बन्धित समस्त इन्द्राजात किये हुए है। प्रथम दृष्टया उक्त घोषणा—पत्र वैट—47 पूर्ण रूप से भरा हुआ है, जिसके अवलोकन से यह प्रतीत नहीं होता है कि उक्त दस्तावेज कारण बताओ नोटिस की पालना में नया तैयार किया गया है, बल्कि संव्यवहार से पूर्व अस्तित्व में था, जो कि वाहन चालक की भूल से वक्त जांच प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा माल से सम्बन्धित पहले से अस्तित्व में एवं मौजूद घोषणा पत्र के दस्तावेज को सशक्त अधिकारी द्वारा जारी किये गये नोटिस की पालना में प्रथम उपलब्ध अवसर पर सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया एवं सशक्त अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की जांच से इस दस्तावेज को असत्य/बोगस भी प्रमाणित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन

लगातार.....4

मानकर धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपण हेतु पारित किया गया आदेश विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स डी पी मैटल्स [(2001) 124 एस.टी.सी. 611]** में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में भी विधिसम्मत नहीं है। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि प्रत्यर्थी द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड के उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों में भी यही मत प्रतिपादित किया गया है कि वक्त जांच प्रस्तुत नहीं किये गये तथा पहले से अस्तित्व दस्तावेज प्रथम उपलब्ध अवसर पर प्रस्तुत कर दिये जाने पर शास्ति का आरोपण अनुचित है।

8. उक्त विवेचन के अनुसार सशक्त अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा पहले से अस्तित्व में मौजूद जवाब के साथ प्रस्तुत घोषणा प्रपत्र वेट–47 को जांच के बाद मिथ्या अथवा असत्य प्रमाणित किये बिना प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित किया जाना अविधिक एवं अनुचित है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा सशक्त अधिकारी के उक्त अविधिक आदेश को अपास्त किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं किये जाने से अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

9. परिणामस्वरूप राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।

19-01-201

(मनोहर पुरी)
सदस्य